पिनाक पानी मोहंती

बनाम

भारत संघ और अन्य ।

(आई. ए. सं. 56308/2023)

में

/

(2022 की रिट याचिका (सी) संख्या 191)

29 मार्च, 2023

[एम**.** आर**.** शाह और सी**.** टी**.** रविकुमार**,** न्यायाधीशगण **]**

निर्देश-भारत संघ ने 23,937 करोड़ रुपये (सहारा-एस. ई. बी. आई. रिफंड खाते में पड़े) अप्रयुक्त राशि में से 5,000 करोड़ रु. की राशि हस्तांतरित करने के लिए निर्देश मांगे। सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के वैध बकाया को वितरण किया जाएगा- अभिनिर्धारित :"सहारा-एस. ई. बी. आई. रिफंड खाते" में पड़ी राशि का उपयोग नहीं किया गया है और सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ता अपना पैसा वापस पाने के हकदार हैं, आवेदन में अनुरोध उचित है और सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के व्यापक जनहित/हित में - रु. 5, 000 करोड़ रुपये को सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया गया है, जो बदले में सहारा समूह की सहकारी समितियों-आई. ए. के जमाकर्ताओं के वैध बकाये का वितरण करेंगे।

/

/

/

सिविल अपीलीय अधिकारिता रिट याचिका (सी) संख्या 191/2022 में आई. ए. संख्या 56308/2023

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और

/

मामले में

सुश्री शैलजा कुलश्रेष्ठ, सुरेश चंद्र त्रिपाठी, जितेंद्र महापात्रा, सुश्री प्रियम अग्रवाल, डॉ. केदार नाथ त्रिपाठी, अधिवक्ता।याचिकाकर्ता के लिए।

/

तुषार मेहता, एस. जी., सुश्री ऐश्वर्या भाटी, बालबीर सिंह, रजत नायर, माधव सिंहल, सुश्री चित्रांगदा राष्ट्रवारा, अरविंद कुमार शर्मा, मुकेश कुमार मारोरिया, प्रत्यूष श्रीवास्तव, प्रसेनजीत महापात्रा, सुश्री नित्या ठाकुर, टोनमॉय डेरा, रजित रॉय, तारिणी प्रसाद त्रिपाठी, धनंजय भास्कर रे, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

/

778 ए.

779

पिनाक पानी मोहंती बनाम भारत और हमारा संघ।

न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. वर्तमान आवेदन 2023 का आई. ए. सं. 56308 है जिसे भारत संघ, निगम मंत्रालय द्वारा रुपये की राशि हस्तांतरित करने के लिए उचित निर्देशों के लिए प्राथमिकता दी गई है। अप्रयुक्त राशि में से 5,000 करोड़ रु. सहारा समूह सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के वैध बकाया के खिलाफ 23,937 करोड़ रुपये ("सहारा-एस. ई. बी. आई. रिफंड खाते" में पड़े) का वितरण किया जाएगा।

/

2. श्री तुषार मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया है कि कुल रु। 24 करोड़ रुपये "सहारा-एस. ई. बी. आई. रिफंड खाते" में एस. ई. बी. आई. के पास अप्रयुक्त पड़े हैं, जो इस न्यायालय द्वारा जारी पहले के निर्देश के अनुसार जमा किए गए हैं।उन्होंने कहा कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जमा की गई 15,569.27 करोड़ रुपये की उपरोक्त राशि में से सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड से 2253 करोड़ रुपये निकाल लिए गए थे और सहारा रियल एस्टेट लिमिटेड के विवाद के कारण सेबी के पास जमा किए गए थे।यह प्रस्तुत किया जाता है

कि, इस प्रकार, "सहारा-एस. ई. बी. आई. धनवापसी खाते" में रखी गई राशि में पहले से ही वह राशि शामिल है जो उपरोक्त सहारा समूह सहकारी समिति लिमिटेड के जमाकर्ताओं की है।

/

/

2. 1 उन्होंने बार/न्यायालय में कहा है कि 'सहारा-सेबी रिफंड खाते' में जमा की गई राशि का उपयोग नहीं हो रहा है और वास्तव में सहारा समूह के विरुद्ध लगातार शिकायतों की बड़ी संख्या के कारण और अप्रयुक्त पड़ी राशि में सहकारी समितियों के सहारा समूह के जमाकर्ताओं की राशि सहित है, यदि 5000 रूपए की राशि सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार को हस्तांतरित की जाती है और उसके बाद सहकारी समितियों के सहारा समूह के जमाकर्ताओं के वैध बकाये के रूप में वितरित की जाती है, जो कि उचित और न्यायसंगत होगा।

/

/

2.2 उन्होंने बार में कहा है कि उपरोक्त राशि पर किसी अन्य एजेंसी का कोई शुल्क और/या कुर्की नहीं है।उन्होंने बार/न्यायालय में कहा कि विभिन्न प्राधिकरणों/विभागों के साथ बैठकों की श्रृंखला के बाद उचित निर्देश के लिए वर्तमान आवेदन दायर किया गया है, जो सहारा समूह सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के व्यापक हित में होगा।उन्होंने यह भी प्रार्थना की है कि एक उपयुक्त निर्देश भी जारी किया जाए कि सहारा समूह की सहकारी समितियों के संबंधित जमाकर्ताओं को देय और देय राशि का वितरण किया जाए

/

/

सबसे पारदर्शी तरीके से और उचित पहचान और जमा का प्रमाण जमा करने पर वास्तविक जमाकर्ताओं को इसका भुगतान किया जाएगा।उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि इसके लिए एक उपयुक्त निर्देश भी जारी किया जाए कि राशि इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की देखरेख अंतर्गत संबंधित जमाकर्ताओं को वितरित की जाएगी।

3. श्री तुषार मेहता को सुनने के बाद, भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने ऊपर बताए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और जब यह बताया जाता है कि रु।

सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, अर्थात चार सहारा समूह बहु-राज्य सहकारी समितियों में से एक, से 2253 करोड़ रुपये निकाले गए थे और "सहारा-एस. ई. बी. आई. रिफंड खाते" में एस. ई. बी. आई. के पास जमा किए गए थे और "सहारा-एस. ई. बी. आई. रिफंड खाते" में पड़ी राशि अप्रयुक्त पड़ी है और सहारा समूह सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ता, जो अन्यथा, अपना पैसा वापस पाने के हकदार होंगे, वर्तमान आवेदन में मांगी गई प्रार्थना उचित प्रतीत होती है और जो सहारा समूह सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के व्यापक सार्वजनिक हित/हित में होगी।इसलिए, वर्तमान आवेदन का निम्नलिखित निर्देशों के साथ निपटारा किया जाता हैः-

/

/

/

(i) रु. की कुल राशि में से। 24, "सहारा-एस. ई. बी. आई. रिफंड खाते" में पड़े हुए करोड़, रु. 5, 000 करोड़ रुपये सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक को हस्तांतरित किए जाएंगे, जो बदले में, सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के वैध बकाया के खिलाफ इसे वितरित करेंगे, जिसका भुगतान वास्तविक जमाकर्ताओं को सबसे पारदर्शी तरीके से और उचित पहचान पर और उनकी जमा राशि और उनके दावों का प्रमाण जमा करने पर किया जाएगा और सीधे उनके संबंधित बैंक खातों में जमा किया जाएगा।

/

/

(ii) इस वितरण की निगरानी और देखरेख इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी द्वारा श्री गौरव अग्रवाल, विद्वान अधिवक्ता, जिन्हें न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी की सहायता के लिए एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया गया है, के साथ-साथ सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा सहारा समूह के वास्तविक जमाकर्ताओं को राशि वितरित करने में की जाएगी।भुगतान करने के तरीके और तौर-तरीकों पर केंद्रीय सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी, ए.

/

/

इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव अग्रवाल।

(iii) इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी को प्रतिमाह 15 लाख रुपये और विद्वान एमिकस क्यूरी श्री गौरव अग्रवाल को उनके मानदेय के रूप में 5 लाख रुपये का भुगतान किया जाए।

/

(iv) हम निर्देश देते हैं कि उपर्युक्त 5,000 करोड़ रुपये की राशि में से यह राशि सहकारी समितियों के सहारा समूह के संबंधित वास्तविक जमाकर्ताओं को शीघ्रातिशीघ्र दी जाए, लेकिन आज से नौ महीने के भीतर।इसके बाद शेष राशि को "सहारा-सेबी रिफंड खाता" में हस्तांतरित कर दिया जाए।

/

4. वर्तमान आई. ए. का निपटारा उपरोक्त के संदर्भ में किया जाता है।

अंकित ज्ञान

आई. ए. का निपटारा किया गया।

/

(सहायकः आरश चौधरी, एलसीआरए)

/

/

/

/